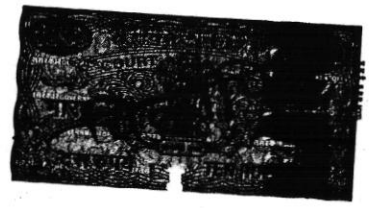

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी

पी/निगरानी/भिण्ड/भू.रा.स./2018/01305

12.2.18

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-3-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12-2-18

श्रीमती दृष्टि त्रिपाठी पत्नी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी निवासिन शास्त्री नगर, भिण्ड-तहसील, व जिला भिण्ड-म0प्र0 ।

------ प्रार्थिया

विरुध्द

१- रघुवीर सिंह पुत्र रामबाबू यादव,

२- सत्यवीर पुत्र रामबाबू यादव,

निवासीगण ग्राम-बैजपुरा, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीगण

कलेक्टर महोदय भिन्ड व्दारा प्र0क्र0 २१/१६-१७ अपील माल में की जा रही कार्यवाही एंवम् पारित आज्ञा दिनांकी १-२-१८ के विरुध्द धारा ५० सहपठित धारा ८ भू-राजस्व संहिता १९५९। म0प्र0 के अधीन आवेदन-पत्र ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय व्दारा की जा रही कार्यवाही एंव पारित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, कलेक्टर महोदय के समक्ष एस0डी0ओ0 महोदय के व्दारा धारा ८९ भू-राजस्व के अधीन पारित आदेश दिनांक २७-८-११ के विरुध्द दिनांक ०८-०६-२०१७ को अवधि बाह्य प्रथम अपील प्रतिप्रार्थी व्दारा प्रस्तुत की गई है । अपील की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अभी प्रकरण में सुनवाई होना शेष है । अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने एंव अपील की अनुमति

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1305

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 21/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 21.12.2017 द्वारा तहसीलदार भिण्ड से प्रतिवेदन मंगाए जाने के आदेश दिए। तथा आदेश पत्रिका दिनांक 28.12.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में स्मरण पत्र जारी किए जाने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद भी प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2018 द्वारा तहसीलदार को रिपोर्ट सहित समक्ष में प्रस्तुत होने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित एवं न्यायिक है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जहां प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	